संख्याः59/2021–2198/58–2021–60/2006

प्रेषक,

संदीप कौर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

निदेशक कैम्प
पत्रांक 1223 (जी)
दिनांक 17-11-21
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ० प्र०, लखनऊ

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊ दिनांक 17 नवम्बर,2021**

विषय : अपर मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में दिनांक 08.10.2021 को सम्पन्न उप-समिति की प्रथम बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-पर ड्राप मोर क्राप माइक्रोइरीगेशन के अंतर्गत नवीन निर्माता फर्मों के पंजीकरण, अतिरिक्त कम्पोनेन्ट सम्मिलित करने/एमल्गमेशन/नाम परिवर्तित/पंजीकरण निरस्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-200/एम.आई.-45/टी0सी0/2021-22 दिनांक 19.10.2021 एवं पत्र सं0-213/14डी/2021-22, दिनांक 28.10.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि योजनान्तर्गत निर्माता फर्मों के पंजीकरण के लिये प्राप्त प्रस्तावों के तकनीकी अप्रेजल के आधार पर निर्धारित बी.आई.एस. मानकों एवं अन्य शर्तों को पूर्ण करने वाली 20 निर्माता फर्मो को ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति की स्थापना/आपूर्ति हेतु 05 वर्ष के लिये पंजीकरण किये जाने हेतु भारत सरकार के आपरेशनल गाइड-लाइन के प्रस्तर-14 में निहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-15/2017-1843/ 58-2017-429/2015, दिनांक 12.07.2017 के अनुसार स्वयं मूल्य प्रणाली के आधार पर पंजीकरण हेतु उप-समिति अनुमोदन के क्रम में निम्नवत् अनुमोदन प्रदान किया जाता है :-

क्र.सं.	नवीन निर्माता फर्म	पंजीकरण हेतु कम्पोनेन्ट
1	2	3
1	मे. उन्नति हाइड्रो-सिस्टम्स प्रा.लि., उन्नाव, उ.प्र.।	पोर्टेबल स्प्रिंकलर, मिनी/माइक्रो/सेमी परमानेन्ट एवं लार्ज वाल्यूम (रेनगन) स्प्रिंकलर
2	मे. द सुप्रीम इंडस्ट्रीज लि., कानपुर।	पोर्टेबल स्प्रिंकलर, मिनी/माइक्रो/सेमी परमानेन्ट एवं लार्ज वाल्यूम (रेनगन) स्प्रिंकलर
3	मे. कादंबरी इंडस्ट्रीज, राजस्थान।	पोर्टेबल स्प्रिंकलर, मिनी/माइक्रो/सेमी परमानेन्ट एवं लार्ज वाल्यूम (रेनगन) स्प्रिंकलर
4	मे. उत्तम पाइप फैक्ट्री, अलवर, राजस्थान।	पोर्टेबल स्प्रिंकलर एवं लार्ज वाल्यूम (रेनगन) स्प्रिंकलर
5	मे. कोहिनूर इंडस्ट्रीज, सीकर, राजस्थान।	पोर्टेबल स्प्रिंकलर, मिनी/माइक्रो/सेमी परमानेन्ट एवं लार्ज वाल्यूम (रेनगन) स्प्रिंकलर
6	मे. अन्नपूर्णा इंडस्ट्रीज, रायपुर, छत्तीसगढ़।	पोर्टेबल स्प्रिंकलर, मिनी/माइक्रो/सेमी परमानेन्ट एवं लार्ज वाल्यूम (रेनगन) स्प्रिंकलर

7	मे. एस.एस. पाइप इंडस्ट्रीज, पटना, बिहार।	पोर्टेबल स्प्रिंकलर, मिनी/माइक्रो/सेमी परमानेन्ट एवं लार्ज वाल्यूम (रेनगन) स्प्रिंकलर
8	मे. वेदांता पॉलीमर्स प्रा.लि., फरीदाबाद, हरियाणा।	पोर्टेबल स्प्रिंकलर एवं लार्ज वाल्यूम (रेनगन) स्प्रिंकलर
9	मे. खेदूत इरीगेशन (इण्डिया) प्रा.लि., राजकोट, गुजरात।	इन लाइन ड्रिप, पोर्टेबल स्प्रिंकलर, मिनी/माइक्रो/सेमी परमानेन्ट एवं लार्ज वाल्यूम (रेनगन) स्प्रिंकलर
10	मे. शिव शक्ति पाइप इंडस्ट्रीज, बहरोर, राजस्थान।	पोर्टेबल स्प्रिंकलर, मिनी/माइक्रो/सेमी परमानेन्ट एवं लार्ज वाल्यूम (रेनगन) स्प्रिंकलर
11	मे. श्री राम पाइप फैक्ट्री, बहरोर, राजस्थान।	इन लाइन ड्रिप, पोर्टेबल स्प्रिंकलर, मिनी/माइक्रो/सेमी परमानेन्ट एवं लार्ज वाल्यूम (रेनगन) स्प्रिंकलर
12	मे. स्वास्ति पॉलीटेक प्रा.लि., रेवाड़ी हरियाणा।	इन लाइन ड्रिप एवं मिनी/माइक्रो/सेमी परमानेन्ट स्प्रिंकलर
13	मे. वण्डर साल्वेज इंडिया प्रा.लि., इंदौर, मध्य प्रदेश।	ऑन लाइन ड्रिप, इन लाइन ड्रिप, पोर्टेबल स्प्रिंकलर, मिनी/माइक्रो/सेमी परमानेन्ट एवं लार्ज वाल्यूम (रेनगन) स्प्रिंकलर
14	मे. पॉलीसिल इरीगेशन सिस्टम पाइप प्रा.लि., वड़ोदरा, गुजरात।	ऑन लाइन ड्रिप, इन लाइन ड्रिप, पोर्टेबल स्प्रिंकलर, मिनी/माइक्रो/सेमी परमानेन्ट एवं लार्ज वाल्यूम (रेनगन) स्प्रिंकलर
15	मे. प्रोग्रेसिव पाइप्स प्रा.लि., गांधीनगर, गुजरात।	ऑन लाइन ड्रिप, इन लाइन ड्रिप एवं मिनी/माइक्रो/सेमी परमानेन्ट स्प्रिंकलर
16	मे. किसान सेल्स इण्टरप्राइजेज, अलवर, राजस्थान।	पोर्टेबल स्प्रिंकलर, मिनी/माइक्रो/सेमी परमानेन्ट एवं लार्ज वाल्यूम (रेनगन) स्प्रिंकलर
17	मे. सफल पॉलीमर्स, रोहतक, हरियाणा।	पोर्टेबल स्प्रिंकलर एवं लार्ज वाल्यूम (रेनगन) स्प्रिंकलर
18	मे. चेरन इरीगेशन, वर्ली, मुम्बई।	ऑन लाइन ड्रिप, इन लाइन ड्रिप एवं मिनी/माइक्रो/सेमी परमानेन्ट स्प्रिंकलर
19	मे. वेस्टवेल पॉलीट्यूब्स, सोलन, हिमाचल प्रदेश।	पोर्टेबल स्प्रिंकलर, मिनी/माइक्रो/सेमी परमानेन्ट एवं लार्ज वाल्यूम (रेनगन) स्प्रिंकलर
20	मे.न्यू बालाजी इंटरप्राइजेज, संत रविदास नगर (भदोही), उ.प्र.	पोर्टेबल स्प्रिंकलर, मिनी/माइक्रो/सेमी परमानेन्ट एवं लार्ज वाल्यूम (रेनगन) स्प्रिंकलर

उक्त के साथ अवगत कराना है कि पत्र दिनांक 19.10.2021 द्वारा नवीन निर्माता फर्मों के पंजीकरण हेतु उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव में बिन्दु सं0-2,3 एवं 21 उप समिति की बैठक में लिये गये निर्णय से भिन्न हैं। भिन्न प्रस्ताव से संबंधित फर्मों के प्रोप्राइटर को सूचित करने का कष्ट करें।

3: पूर्व में पंजीकृत निर्माता फर्मों के अतिरिक्त कम्पोनेन्ट सम्मिलित किये जाने का अनुमोदन

योजनान्तर्गत माइक्रोइरीगेशन कार्यक्रम के अंगीकरण हेतु निर्माता फर्मों का 05 वर्ष के लिए पूर्व में पंजीकरण किया गया है। इन निर्माता फर्मो ने अतिरिक्त कम्पोनेन्ट सम्मिलित किये जान हेतु स्वयं के बी. आई.एस प्रस्तुत किये गये हैं, जिस पर उप-समिति द्वारा विचार कर निम्नवत् अनुमोदन प्रदान किया गया जो निर्माता फर्म की पंजीकरण अवधि तक के लिए मान्य होगी :-

क्र.सं	निर्माता फर्म	अनुमोदित अतिरिक्त कम्पोनेन्ट
1	मे. त्यागी इण्डस्ट्रीज, देवास, मध्य प्रदेश	पोर्टेबल/लार्ज वाल्यूम रेनगन स्प्रिंकलर
2	मे. श्री श्याम पाइप उद्योग, रेवाड़ी, हरियाणा	मिनी/माइक्रो/सेमी परमानेन्ट स्प्रिंकलर
3	मे. राठी पॉली प्लास्ट प्रा.लि., जयपुर, राजस्थान	इन लाइन ड्रिप
4	मे. जगजीत इण्डस्ट्रीज, भदोही।	मिनी/माइक्रो/सेमी परमानेन्ट स्प्रिंकलर
5	मे. जमीदार पाइप इण्डस्ट्रीज, अलवर, राजस्थान।	मिनी/माइक्रो/सेमी परमानेन्ट स्प्रिंकलर

4: पूर्व में पंजीकृत निर्माता फर्म का नाम परिवर्तित किये जाने का अनुमोदन

योजनान्तर्गत मे.विशाखा इरीगेशन प्रा.लि., अहमदाबाद, गुजरात का पंजीकरण शासनादेश संख्या 2907/58-2017-60/2006 दिनांक 04.10.2017 को 05 वर्ष के लिए किया गया है। निर्माता फर्म द्वारा फर्म का नाम मे. विशाखा प्लास्टिक पाइप्स प्रा.लि., अहमदाबाद, गुजरात किये जाने का अनुरोध के क्रम में तकनीकी समिति की संस्तुति के आधार पर फर्म का नाम मे. विशाखा प्लास्टिक पाइप्स प्रा.लि., अहमदाबाद, गुजरात किये जाने का अनुमोदन उप-समिति द्वारा प्रदान किया गया।

निर्माता फर्म	परिवर्तित नाम
मे. विशाखा इरीगेशन प्रा.लि., अहमदाबाद, गुजरात	मे. विशाखा प्लास्टिक पाइप्स प्रा.लि., अहमदाबाद, गुजरात

5:पूर्व में पंजीकृत निर्माता फर्म का एमल्गमेशन

योजनान्तर्गत मे. स्वाती स्टोरवेल प्रा.लि., परवानू, हिमाचल प्रदेश का पंजीकरण शासनादेश संख्या 2907/58-2017-60/2006 दिनांक 04.10.2017 को 05 वर्ष के लिए किया गया है। निर्माता फर्म द्वारा फर्म का एमल्गमेशन मे. स्टर्डी इण्डस्ट्रीज लि., परवानू, हिमाचल प्रदेश में करते हुए फर्म का नाम मे. स्टर्डी इण्डस्ट्रीज लि.,परवानू, हिमाचल प्रदेश किये जाने के आवेदन के क्रम में तकनीकी समिति की संस्तुति के अनुसार उक्त फर्म का एमल्गमेशन मे. स्टर्डी इण्डस्ट्रीज लि. में स्वीकार करते हुए फर्म का नाम मे. स्टर्डी इण्डस्ट्रीज लि.,परवानू, हिमाचल प्रदेश किये जाने हेतु उप-समिति द्वारा सहमति प्रदान की गयी।

निर्माता फर्म	संशोधित नाम
मे. स्वाती स्टोरवेल प्रा.लि., परवानू, हिमाचल प्रदेश	मे. स्टर्डी इण्डस्ट्रीज लि.,परवानू, हिमाचल प्रदेश

6:पूर्व में पंजीकृत निर्माता फर्म का पंजीकरण निरस्त करने का अनुमोदन

योजनान्तर्गत मे. तिजारिया पॉली पाइप्स लि., जयपुर, राजस्थान का पंजीकरण शासनादेश संख्या 37/2018-1467/58-2018-60/2006 दिनांक 11.06.2018 को 05 वर्ष के लिए किया गया है। निर्माता फर्म ने फर्म का रजिस्ट्रेशन निरस्त करते हुए रु 2 लाख की बैंक गारण्टी वापस करने हेतु किये गये आवेदन के क्रम में निर्णय लिया गया कि तकनीकी समिति की संस्तुति के आधार पर मे. तिजारिया पॉलीपाइप्स लि., जयपुर, राजस्थान का पंजीकरण निरस्त करते हुए बैंक गारण्टी वापस करने के संबंध में संबंधित फर्म के विरूद्ध कोई विपरीत तथ्य/शिकायत नहीं है, फलतः उप-समिति को पंजीकरण निरस्त करते हुए बैंक गारण्टी वापस किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

7: योजनान्तर्गतनवीन निर्माता फर्मों का आगे पंजीकरण किये जाने पर विचार

भारत सरकार के आपरेशनल गाइड लाइन के प्रस्तर-14 के अनुसार निर्माता फर्मों का पंजीकरण मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (एस.एल.एस.सी) के अनुमोदन से 05 वर्ष के लिए किये जाने की व्यवस्था निर्धारित है। कोई भी इच्छुक निर्माता फर्म वर्ष में किसी समय पंजीकरण हेतु आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होता है। प्रस्ताव पर उप-समिति द्वारा विचार कर सूक्ष्म सिंचाई पद्धति के बेहतर अंगीकरण हेतु भविष्य में भी ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति के पंजीकरण का कार्य की निरन्तरता बनाये रखने के निर्देश दिये गये ताकि बागवानी, कृषि एवं गन्ना फसल किसानों को अपने स्वेच्छानुसार किसी भी निर्माता फर्म से सूक्ष्म सिंचाई पद्धति की स्थापना/आपूर्ति में सुविधा प्राप्त हो सके।

8. उल्लिखित फर्मो का पंजीकरण एवं अतिरिक्त कम्पोनेंट 05 वर्षों के लिए सम्मिलित करने ने, निर्माता फर्म के एमल्गमेशन, पूर्व पंजीकृत निर्माता फर्म के नाम परिवर्तित की सहमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि निर्माता फर्म मैनुफैक्चरर्स हो, ट्रेडर्स नहीं।

9. निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण द्वारा यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि भारत सरकार द्वारा जारी माइक्रोइरीगेशन दिशा-निर्देश में उल्लिखित सभी पहलुओं को निर्माता फर्मे सुनिश्चित करती है। उक्त फर्मों से वांछित सभी औपचारिकतायें पूर्ण कराने का उत्तरदायित्व निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण एवं सम्बन्धित जनपदीय अधिकारी का होगा।

10. उक्त फर्मों द्वारा कराये गये कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये। इन फर्मों द्वारा सम्पादित कार्य एवं गुणवत्ता संतोषजनक न पाये जाने पर पंजीकरण किसी भी समय समाप्त कर दिया जायेगा।

11. उक्त फर्मों का पंजीकरण भारत सरकार द्वारा संचालित माइक्रोइरीगेशन योजना के नियमों/दिशा-निर्देशों के अधीन किया जायेगा।

12. यदि फर्मों के चयन में कोई प्रतिकूल तथ्य आते हैं तो उसके लिए निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उत्तरदायी होंगे।

कृपया उपरोक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

(संदीप कौर)
विशेष सचिव

<u>संख्या–59/2021–2198(1)/58–2021 तद्दिनांक–</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2– निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3– कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
4– कृषि अनुभाग–5, उत्तर प्रदेश शासन।
5– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार राय)
उप सचिव।

निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तर प्रदेश

उद्यान भवन, 2-सप्रू मार्ग, लखनऊ - 226001

☎ 0522- 4072539,4044414 Fax: 0522-2621382, E-mail : nmmiup@gmail.com

पत्रांक : 234 /MI-14D/PMKSY/2021-22 **दिनांक :** 22 नवम्बर, 2021

प्रतिलिपि : प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के उपघटक पर ड्रॉप मोर क्रॉप (माइक्रोइरीगेशन) के अन्तर्गत पंजीकृत निर्माता फर्मों से सम्बन्धित उपरोक्त शासनादेश सं. 59/2021-2198/58-2021-60/2006 दिनांक 17.11.2021 की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त सचिव (आर.एफ.एस.) भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
2. कार्यकारी निदेशक, एन.सी.पी.ए.एच., 10वीं मंजिल इण्टरनेशनल ट्रेड टॉवर, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, कृषि, उत्तर प्रदेश शासन।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, गन्ना एवं चीनी उद्योग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, लघु सिंचाई एवं भू-गर्भ जल, उत्तर प्रदेश शासन।
6. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

7. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जनपद स्तरीय क्रियान्वयन समिति (डी.एल.आई.सी.), पी.एम.के.एस.वाई. उत्तर प्रदेश।
8. विशेष सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तर प्रदेश शासन।
9. कृषि निदेशक/नोडल अधिकारी, पी.एम.के.एस.वाई., कृषि भवन, लखनऊ।
10. आयुक्त, गन्ना एवं चीनी उद्योग, 17 न्यू बेरी रोड, डालीबाग, लखनऊ।
11. मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ।
12. प्रधान वैज्ञानिक, पी.एफ.डी.सी., केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, रहमान खेड़ा, लखनऊ।
13. संयुक्त निदेशक/मुख्य उद्यान विशेषज्ञ/सिट्रस विशेषज्ञ, औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र, बस्ती/सहारनपुर/मलिहाबाद (लखनऊ)/खुशरूबाग (इलाहाबाद) एवं बरूआसागर (झाँसी)।
14. समस्त उप निदेशक उद्यान, उत्तर प्रदेश को अनुपालनार्थ।
15. समस्त जिला उद्यान अधिकारी/अधीक्षक राजकीय उद्यान/आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
16. सम्बन्धित नवीन पंजीकृत निर्माता फर्मो को निर्देशित किया जाता है कि अपनी बैंक गारण्टी निदेशालय को शीघ्र उपलब्ध कराते हुए अपेक्षित बैंक गारण्टी तत्काल उपलब्ध करायें ताकि फर्मों के पोर्टल पर अपडेशन की कार्यवाही की जा सके।
17. वित्त नियंत्रक/नोडल अधिकारी, आई.टी सेल, उद्यान भवन, लखनऊ को इस अनुरोध से प्रेषित कि कृपया उपरोक्तानुसार फर्मों का पोर्टल पर अपडेशन कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

(आर.के. तोमर)
निदेशक